

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
क्रमांक :-एफ.2(4279)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14 102580/2020 जयपुर, दिनांक 01.07.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गुरुसेवक सिंह, सूचना सहायक, कार्यालय तहसीलदार राजस्व, रावतसर जिला हनुमानगढ़ को **Jaipur National University** से पत्राचार के माध्यम से **MCA II Year परीक्षा 2020** में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री गुरुसेवक सिंह, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्मिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।

54/—
(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार (राजस्व), कार्यालय तहसीलदार राजस्व, रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. श्री गुरुसेवक सिंह, सूचना सहायक कार्यालय तहसीलदार राजस्व, रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

94mm
30/06/2020
प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)